—07—

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

11-04-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या—128/2009 में आवेदक **श्री रामलगन सिंह**, पिता—स्व0 रामप्रीत सिंह, सा0—मुस्तफापुर, थाना—खुशरूपुर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—9—895/2007 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या—128/2009 में दिनांक—19.07.2011 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि टाल क्षेत्र में मकान हैं और उनके पास 25 बीघा जमीन है, जिसके कारण जान माल की सुरक्षा का भय बना रहता है। वर्ष 2000 में असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे जमीन पर दखल कब्जा करने तथा मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया था, इस संदर्भ में मेरे द्वारा खुशरूपुर थाना कांड सं0—43/2000, धारा—147/148/307/379/323 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स ऐक्ट तथा वर्ष—2010 में इसी तरह की घटना होने पर खुशरूपुर थाना कांड सं0—158/2010, धारा—147/341/323/ 447/507/506/379/34 एवं 27 आर्म्स ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आवेदक द्वारा अपने जान—माल एवं संपत्ति की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक—558/गो0, दिनांक—10.03.2008 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। आवेदक के विरूद्ध अप्राथमिकी सं0—6/07, 11/07, 31/07 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है, जो इनके पारिवारिक विवाद के कारण हुआ है। पुलिस उप—महानिरीक्षक, पटना एवं थानाध्यक्ष, खुशरूपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त कर गार्ड में नौकरी करना चाहते हैं, न कि जान—माल की सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तदनुसार अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फतुहाँ के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र बिना अनुशंसा के अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। थानाध्यक्ष—खुशरूपुर द्वारा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक खेती करते हैं तथा आवेदक द्वारा अपने जान—माल एवं संपत्ति की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अग्रसारित किया गया। साथ हीं पुलिस निरीक्षक, दानापुर अंचल द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। पारिवारिक विवाद के कारण आवेदक के विरूद्ध अप्राथमिकी सं0—6/07, 11/07, 31/07 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है।

शस्त्र अपील वाद सं0—128/2009 रामलगन सिंह बनाम बिहार सरकार में आयुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक—19.07.2011 को पारित आदेश में पुलिस प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देते हुए, Threat Perception का आकलन कर अपीलकर्त्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर निर्णय लिये जाने का आदेश अंकित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों, शस्त्र अपील वाद सं0–128/2009 रामलगन सिंह बनाम बिहार सरकार में आयुक्त न्यायालय द्वारा दि0–19.07.2011 को पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक **श्री रामलगन सिंह** को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों तथा शस्त्र अपील वाद सं0–128/2009 रामलगन सिंह बनाम बिहार सरकार में आयुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक–19.07.2011 को पारित आदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री रामलगन सिंह,** पिता–स्व0 रामप्रीत सिंह, सा0–मुस्तफापुर, थाना–खुशरूपुर, जिला– पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/04/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

11/04/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।